सत्यमेव जयते	**राजस्थान राजपत्र विशेषांक**	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
	आश्विन 26, शुक्रवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 18, *2024* *Asvina 26, Friday, Saka 1946- October 18, 2024*	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 18, 2024

संख्या एफ. 3 (1) (20)प्रथम/निर्वा/2024/डी.406 :- भारत निर्वाचन आयोग की निम्न अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

नवीन महाजन,

प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 18 अक्तूबर, 2024

26 आश्विन, 1946 (शक)

अधिसूचना

सं. 100/राज.-वि.स./7/2024:- यतः, राजस्थान राज्य की विधानसभा में **156-सलूम्बर (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री अमृतलाल मीणा का स्थान उनके निधन होने के कारण **8 अगस्त, 2024** को रिक्त हो गया है; **और**

2. **यतः,** इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना हैः

3. **अतः, अब,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150, धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वाराः-

(अ) राजस्थान राज्य के उक्त 156-सलूम्बर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्चाचन क्षेत्र से यह **अपेक्षा करता है** कि उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार 25 नवम्बर, 2024 (सोमवार) से पहले राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ राजस्थान राज्य की किसी भी अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए; **और**

(ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित **निर्धारित करता हैः-**

(क) नाम-निर्देशन करने हेतु अंतिम तारीख, 25 अक्तूबर, 2024 (शुक्रवार);

(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु अंतिम तारीख, 28 अक्तूबर, 2024 (सोमवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने हेतु अंतिम तारीख, 30 अक्तूबर, 2024 (बुधवार);

(घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 13 नवम्बर, 2024 (बुधवार);

(ड) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्नहो जाएगा, 25 नवम्बर, 2024 (सोमवार); **और**

(स) **पूर्वाहन 07:00 बजे से अपराहन 06.00 बजे** तक का समय, **ऐसे समय के रूप में नियत करता है** जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

अश्वनी कुमार मोहल,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 18th October, 2024
26 Asvina, 1946 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/RJ-LA/7/2024:- **WHEREAS**, the seat of Sh. Amritlal Meena, in the Legislative Assembly of the State of Rajasthan, elected from **156-Salumber (ST)** Assembly Constituency, has become vacant on **08th August, 2024** by reason of his death ; **and**

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE,** in pursuance of Section 150, Section 30 and Section56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: –

(A) **Calls upon** the said 156-Salumber (ST) Assembly Constituency in the State of Rajasthan, to elect, before the 25th November, 2024 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under, a person belonging to any of the Scheduled Tribes of Rajasthan State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State; **and**

(B) **appoints,** with respect to the said election, -

(a) the 25th October, 2024 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) the 28th October, 2024 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 30th October, 2024 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 13th November, 2024 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;

(e) the 25th November, 2024 (Monday), as the date before which the election shall be completed; **and**

(C) fixes the hours from **7.00 AM to 6.00 PM,** as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

BY ORDER,

ASHWANI KUMAR MOHAL,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSIONOF INDIA.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।